फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम – जहाजपुर(भीलवाडा)

हेमेन्द्र पिता जगनाथ सिंह राजपूत नि. सदापुर

बनाम

दुर्गालाल पिता मोतीलाल दरोगा नि. सदापुर वगैरा

स्म मुकदमा प्रा० पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं.5829/2023

,क्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
.23	प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि **ग्राम सदापुर प. ह. भगुनगर तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 15, 16, 17 कुल किता 3 रकबा 3.5640 हैक्टेयर** स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि भूमि **ग्राम सदापुर प. ह. भगुनगर तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 15, 16, 17 कुल किता 3 रकबा 3.5640 हैक्टेयर** की उभय पक्षों की उपस्थिति मे पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक अमरगढं को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 1000– रू. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रू. राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे। आदेश आज दिनांक 7-6-2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। **उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर (भीलवाडा)**	

राजस्थान–सरकार

...लय उपखण्ड अधिकारी जहापुर जिला भीलवाडा

...र/2023/589/2023 दिनांक :–7–6 .2023

...ीलदार जहाजपुर

विषय :– प्र. स. 589/23 अनवान हेमेन्द्र सिंह पिता जगनाथ सिंह राजपूत नि. सदापुर बनाम दुर्गालाल पिता गोतीलाल दरोगा, नाथू पिता नारायण धाकड, कन्हैया पिता गोदू धाकड, खाना पिता बालू धाकड, भैरूपिता किशन दरोगा, रणजीत पिता मोती दरोगा, नारायण पिता मोती दरोगा, खाना पिता चतुर्भुज दरोगा, कलयाण पिता डुंगर सिंह दरोगा, किशन पिता लालसिंह राजपूत नि. सदापुर वगैराह की पत्थरगढी की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में भूमि **ग्राम सदापुर प. ह. भगुनगर जहाजपुर में स्थित आ. न. 15, 16, 17 कुल किता 3 रकबा 3.5640 हैक्टेयर** उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक अमरगढ को नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 1000 रू. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष को प्रभावित नहीं किया जावें। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)